

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा(छ०ग०)

--:विविध आदेश:--

क्र०-क्यू०/मु०न्या०मजि०/2026

दंतेवाड़ा, दिनांक 20/08/2026

मैं श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दंतेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा(छ०ग०) धारा 450 भा०ना०सु०सं० में दिये गये शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दंतेवाड़ा का स्थानांतरण होने से उनके न्यायालय में लंबित समस्त पंजीकृत एवं अपंजीकृत, आपराधिक प्रकरण, घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित प्रकरण, परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरण, विविध आपराधिक प्रकरण, रिमांड एवं सुपुर्दनामा प्रकरण एवं अन्य विशेष अधिनियमों से संबंधित आपराधिक प्रकरण विधिवत निराकरण हेतु सुश्री सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी दंतेवाड़ा के न्यायालय में अंतरित करती हूँ।

sd-
(श्रीमती अपूर्वा दाँगी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)

प्रतिलिपि:-

01. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा को सूचनार्थ ।
02. सुश्री सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दंतेवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित ।
03. जिला, अधिवक्ता संघ दंतेवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित ।
04. जिला अभियोजन अधिकारी दंतेवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित ।
05. प्रस्तुतकार, न्यायालय श्री सुमित नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को सूचनार्थ कि आदेशानुसार समस्त प्रकरण सूची सहित, प्रस्तुतकार, न्यायालय सुश्री सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दंतेवाड़ा को तत्काल सौंप कर सूचित करें।
06. कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
07. सांख्यिकी लिपिक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।
08. असिस्टेंट प्रोग्रामर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला न्यायालय के वेबसाईड में अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
09. न्यायालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा ।

apung
20/08/26
(श्रीमती अपूर्वा दाँगी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला दक्षिण बस्तर(दंतेवाड़ा)